राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग/फार्मा–1209/(सीधी भर्ती–2013)/2015/ 306 दिनाँकः– 19.9.2015

–:: आदेश ::–

निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सीधी भर्ती/2013/147 दिनांक 26/02/2013 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से फार्मासिस्ट के 1209 पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। विज्ञप्ति मे उल्लेखित शर्तो के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों की उनकी वरियता/श्रेणी के आधार पर वर्णित पदों से दोगुना अभ्यर्थियों की कॉउन्सिलिंग दिनांक 03.03.2015 से 13.03.2015 तक की गई। कॉउन्सिलिंग में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सलग्न दस्तावेजों की छाया प्रतियों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से किया गया। उक्त तिथियों में कॉउन्सिलिंग के दौरान अनुपस्थित रहे सभी अभ्यर्थियों को एक अवसर ओर प्रदान करते हुए दिनांक 01.05.2015 को कॉउन्सिलिंग की गयी।

कॉउन्सिलिंग के पश्चात राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानानुसार योग्य अभ्यर्थियों की अन्तरिम वरियता सूची (Provisional Merit List) माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं के निर्णयाधीन जारी की जा रही है। अन्तरिम वरियता सूची (Provisional Merit List) तैयार करने हेतु अंको का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया:–

1. डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharma)/डिग्री इन फार्मेसी (B.Pharma) उत्तीर्ण के पश्चात राजस्थान फार्मेसी कौसिंल में पंजीयन की अनीवार्यता रही है। यदि किसी अभ्यर्थी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के पश्चात बैचलर इन फार्मेसी (B.Pharma) कोर्स भी उत्तीर्ण किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharma) के प्राप्तांको को आधार मान कर अंको की गणना की गई है।
2. पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंको की गणना पूरक विषय के न्यूनतम उत्तीर्ण अंको (Minimum Passing Marks) को आधार मानकर की गई है।
3. व्यावसायिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत वेटेज रखा गया है तथा नियमों में उल्लेखितानुसार अनुभव के आधार पर बोनस हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत अंको का वेटेज रखा गया है।

फार्मासिस्ट के विज्ञापित 1209 पदो के विरुद्ध 1107 अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरीयता सूची मे सम्मिलित किया गया है, वर्तमान में निम्न श्रेणी के पदों का बेकलॉग है:–

(अ) अनुसूचित जन जाति – 50 **(ब)** अनुसूचित जन जाति (टी एस पी) – 43 **(स)** अनुसूचित जाति (टी एस पी) – 03 **(द)** सहरिया – 06 **(कुल – 102 पद)**

यदि किसी अभ्यर्थी के अंक उनसे सम्बन्धित श्रेणी वर्ग के कटऑफ प्रतिशत अंक से अधिक है तथा अन्तरिम वरीयता सूची मे सम्बन्धित वर्ग में उनका नाम अंकित नही है अथवा अन्य कोई आपत्ति हो तो वे अपनी परिवेदना मय सम्बन्धित मूल दस्तावेजों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति के साथ **दिनांक 28.09.2015 सांय 5.00 बजे तक राजकीय कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को राज्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, हीराबाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पास, टोंक रोड, जयपुर** पर प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्तियो/परिवेदनाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा। विभाग द्वारा पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती।

नोटः– प्रकाशित अंतरिम (Provisional) वरीयता सूची में जिन अभ्यर्थियों के Remarks कॉलम में जो टिप्पणी अंकित की गई है, उसकी पूर्ति के उपरान्त ही अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

सलग्नः– अन्तरिम वरियता सूची।

19/9/15

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–नर्सिंग/फार्मा–1209/(सीधी भर्ती–2013)/2015/ 306 दिनाँकः– 19.9.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 मुख्यालय ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश एवं संलग्न सूची को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।